

न्यायालय:-एस0के0 गुप्ता, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड

जमानत आवेदन क्रमांक 444/17

हल्के पुत्र रामेश्वर राठौर, निवासी ग्राम चैनो
तहसील कैलारस जिला मुरैना, म.प्र.

-----आवेदक

विरुद्ध

थानाप्रभारी आरक्षी केंद्र एण्डौरी

-----अनावेदक

03-01-2018

आवेदक/अभियुक्त हल्के की ओर से श्री के0पी0 राठौर अधिवक्ता।

राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक श्री दीवानसिंह गुर्जर।

विचारण न्यायालय (सुश्री प्रतिष्ठा अवस्थी जे0एम0एफ0सी0) गोहद से मूल
आपराधिक प्र0क्र0 870/12 ई0फौ0 प्राप्त।

प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त हल्के की ओर से अधिवक्ता श्री के0पी0
राठौर द्वारा प्रथम नियमित जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 दं0प्र0सं0 पेश कर
निवेदन किया है कि उक्त प्रथम जमानत आवेदन के अलावा अन्य कोई आवेदन
किसी भी समकक्ष न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया है और
न ही निराकृत हुआ है।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रथम जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा
439 दं0प्र0सं0 पेश कर निवेदन किया गया है कि आवेदक के विरुद्ध विचारण
न्यायालय में संचालित उक्त आपराधिक प्रकरण में नियत पेशी दिनांक 12.11.13 को
मजदूरी करने अभियुक्त के बाहर चले जाने के कारण अभियुक्त के विरुद्ध जमानत
जप्त होकर गिरफ्तारी वारंट जारी हो जाने के पश्चात् 20 दिवस से अभियुक्त
उपजेल गोहद में बंद है। आवेदक के अलावा घर पर कमाने वाला अन्य कोई व्यक्ति
नहीं है जेल में रहने से आवेदक का पूरा परिवार भूखो मर रहा है। अभियुक्त मजदूर
पेशा परिवार का एक मात्र कताधता है। वह जमानत मिलने पर नियमित रूप से
प्रत्येक पेशी पर उपस्थित होता रहेगा तथा न्यायालय की शर्तों का पालन करेगा।
प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः अभियुक्त को पुनः जमानत
का लाभ दिये जाने का निवेदन किया गया है।

राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन पत्र का विरोध
करते हुए आवेदन पत्र निरस्त करने का निवेदन किया है।

उपरोक्तानुसार उभयपक्षों के निवेदन पर विचार करते हुये विचारण
न्यायालय के मूल आपराधिक प्रकरण क्रमांक 870/12 के संपूर्ण अभिलेख का

अवलोकन किया गया, जिससे पाया जाता है कि उक्त प्रकरण में विचारण न्यायालय के समक्ष नियत पेशी दिनांक 12.11.13 को आरोप तर्क की स्टेज पर अभियुक्त हल्के के उपस्थित नहीं रहने के कारण अभियुक्त हल्के के जमानत मुचलके जप्त किये जाकर उसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किये जाने के पश्चात् पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर अभियुक्त हल्के को दिनांक 15.12.17 को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के पश्चात् से अभियुक्त हल्के विगत करीब 20 दिवस से निरंतर न्यायिक अभिरक्षा में है। अभियुक्त के विरुद्ध जे0एम0एफ0सी0 न्यायालय के समक्ष धारा 452, 294, 323, 325 भा0दं0सं0 के अंतर्गत उक्त प्रकरण आरोप तर्क तर्क की स्टेज पर विचाराधीन होने से प्रकरण के निराकरण में विलंब की संभावना है तथा उक्त मामला जे0एम0एफ0सी0 न्यायालय द्वारा विचारण योग्य है एवं अभियुक्त दिनांक 15.12.17 से अर्थात् विगत करीब 20 दिवस से निरंतर न्यायिक अभिरक्षा में है और उसे गरीब मजदूर पेशा परिवार का एक मात्र कर्ताधर्ता होना बताया गया है। अनुपस्थिति बावत् न्यायिक अभिरक्षा की अवधि शिक्षाप्रद प्रतीत होती है।

विचारोपरांत आवेदक/आरोपी हल्के की ओर से संबंधित विचारण न्यायालय की संतुष्टि योग्य 40,000/- रुपये की सक्षम जमानत एवं इतनी ही राशि का स्वयं का बंधपत्र इस आशय की पेश होने पर कि वह प्रत्येक पेशी पर विचारण न्यायालय में उपस्थित रहेगा तथा विचारण में सहयोग करेगा, तो उसे जमानत पर छोड़े जाने का आदेश दिया जाता है।

आरोपी के मुचलके की राशि राजसात किये जाने के संबंध में विचारण न्यायालय विधिवत कार्यवाही करने के लिये स्वतंत्र है।

आदेश की प्रति सहित विचारण न्यायालय का मूल अभिलेख वापस किया जाये।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर रिकॉर्ड अभिलेखागार भेजा जावे।

(एस0के0गुप्ता)

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
गोहद, जिला भिण्ड